क्यों उदासीन हैं विश्व धरोहर स्थल ''नन्दादेवी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र'' के निवासी?

*सुनील नौटियाल, के0 एस0 राव एवं आर0 के0 मैखुरी**

गो0 बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी–कटारमल (अल्मोड़ा) 263 643, उत्तरॉचल

**गो0 बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, गढ़वाल इकाई–श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरॉचल*

आज के इस वैज्ञानिक युग में पूरे विश्व को जैव विविधता संरक्षण की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इसके प्रयास में पूरे विश्व में किसी विशिष्ट क्षेत्र को वन्य जीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, सन् 1971 में जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve) घोषित करके संरक्षण के प्रयास और तेज किये गये। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की मानव एवं जैवमण्डल (Man and Biosphere) प्रोग्राम के तहत किसी क्षेत्र को जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये निम्नलिखित वि'ा"ट नियमों को मध्यनजर रखते हुए उन पर केन्द्रित होने व कार्य करने की आव'यकता पर जोर दिया गया।

(क) पारिस्थितिक तंत्र और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण।
(ख) अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहन।
(ग) स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था का विकास एवं प्रवर्धन।

आज पूरे विश्व में 324 जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र हैं। उनमें से 12 भारत में विभिन्न क्षेत्रों के अलग–अलग पारिस्थितिक तन्त्रों के अधीनस्थ कार्यरत हैं। उन्ही में से एक नन्दा देवी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र उत्तरी भारत के मध्य हिमालयी क्षेत्र में उत्तरांचल के चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों के 2226.74 वर्ग कि.मी. की भू सीमा पर स्थित है। फरवरी 1999 में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र की जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को समझते हुए जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार 5820 वर्ग कि.मी. तक किया गया है। इसे जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र 18 जनवरी सन् 1988 को घोषित किया गया, किन्तु आरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद स्थानीय निवासियों के केन्द्रीय जैव मण्डल भण्डार (कोर जोन) से सारे अधिकार प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर से लगभग समाप्त कर दिये गये जिन पर कि उनका सैकड़ों पीढ़ियों से परम्परागत अधिकार था। इससे उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। परिणामतः स्थानीय निवासियों एवं सरकारी तन्त्र के बीच मतभेद पैदा हो गये और क्षेत्र की अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा के प्रति स्थानीय निवासी उदासीन हो गये, परिणाम यह हुआ कि जैवविविधता संरक्षण के जिस उद्देश्य हेतु इसे स्थापित किया गया था यह आरक्षित क्षेत्र उन उद्देश्यों की उपलब्धियों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि, जब तक किसी भी आरक्षित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण नीतियॅा तैयार नही की जायेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं किया जाता है, तब तक जैव विविधता संरक्षण की उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

नन्दादेवी आरक्षित क्षेत्र के निवासियों का आज इस क्षेत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। क्योंकि आरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद उन्हें कई प्रकार से आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। पहले इस क्षेत्र के लोग अपनी आय का अधिकांश भाग कृषि के अतिरिक्त इस क्षेत्र में होने वाले पर्यटन व भेड.बकरी पालन से अर्जित करते थे यह क्षेत्र आरक्षित होने के बाद पूर्णतः पर्यटन के लिये बन्द कर दिया गया है। और भेड़–बकरी पालन पर इसलिए बुरा असर पड़ा है कि इस क्षेत्र के अधिकांश चारागाह (बुग्याल) इसके केन्द्रीय जैवमण्डल भण्डार के अन्तर्गत चले गये हैं, जो कि पूर्णतः वर्जित क्षेत्र है। फलस्वरूप यहां के निवासियों ने चारागाहों की कमी के कारण अपने भेड़ बकरी पालन में 70.80 फीसदी कमी कर दी ळें

अब प्रश्न यह उठता है कि आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति पर जो बुरा असर पड़ा है सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये उन्हें अन्य क्या विकल्प दिये है? वे विकल्प क्या वहां की परिस्थितियों एवं पारिस्थितिकी के अनुरूप लोगों द्वारा स्वीकार्य भी हैं या नहीं। इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यदि सरकार इन जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र में निवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नये कार्यक्रम नही देती तब तक इन ग्रामीणों की वनों के प्रति पैदा हुई नकारात्मक सोच के चलते जैव विविधता संरक्षण की उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो वन व पहाड़ आज तक इन लोगों की जीने के प्रमुख आधार थे जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद ये वन व पहाड़ नजदीक होने के बावजूद इनसे दूर होते जा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में यदि स्थानीय जनता व

सरकारी तंत्र के बीच मतभेद को कम करना है तो उनको दिये जाने वाले विकल्पों के सम्बन्ध में भी स्थानीय जनता को ही आ'वस्त करके चलना होगा।

विगत 10 वर्षो के गहन 'ाोध व विचार कार्यक्रमों के आधार पर नन्दादेवी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये उपयुक्त विकल्प सुझाये हैंः जैसे वन्य फलों (अमेस ,किरोल, भोटिया बादाम इत्यादि) एवं अन्य वन्य एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार,, जड़ी.बूटियों का कृषिकरण से उनकी पैदावार बढ़ाना व सरकार को जड़ी. बूटी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना, कम लागत की तकनीकी से परती भूमि का विकास करना, परिवेश पर्यटन को बढ़ावा देना, मिश्रित फसलों (राजमा़ आलू़ चोलाई या आलूराजमा) की खेती को बढ़ावा देना, कुक्कुट या खरगो'ा पालन को बढ़ावा देना इत्यादि सम्मिलित हैं। साथ ही साथ नन्दादेवी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के प्राधिकारियों को विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों के बीच आपसी तालमेल व सामंजस्य स्थापित करना व शोध द्वारा विकास से सम्बन्धित मौलिक अवधारणाओं को सत्यापित करना, सकारात्मक सुझावों का आदान प्रदान करना चाहिये। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि आरक्षित क्षेत्र से जुड़े सरकारी तंत्र उपरोक्त सुझायी गयी रणनीति के आधार पर जनता की सहभागिता लेकर कार्य करें तो क्षेत्र की जनता में व्याप्त रोष एवं मतभेद को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है और साथ ही क्षेत्र का चौमुखी विकास भी सम्भव है। इस विश्व धरोहर स्थल के उचित प्रबन्धन, सत्त विकास, स्थानीय निवासियों एवं आरक्षित क्षेत्र के प्राधिकारियों के मध्य विवाद विश्लेषण हेतु विभिन्न पहलुओं पर एक शोध ग्रन्थ एवं कई शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये हैं।